सार्वजनिक सूचना

2 जनवरी, 2018 को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई, जिसके माध्यम से यह सूचना दी गई कि अब तक जो रकम समिति द्वारा वसूल की गई है उससे पीएसीएल लि. के निवेशकों को धन-वापसी (रिफंड) करने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है । प्रेस विज्ञप्ति में, *अन्य बातों के साथ-साथ,* यह भी उल्लेख किया गया था कि आवेदन के साथ पीएसीएल के प्रमाणपत्र की स्कैन की हुई प्रति अपलोड की जाए ।

इस संबंध में, समिति को यह पता चला है कि कुछ मामलों में, पीएसीएल की किसी एक रजिस्ट्रीकरण संख्या की बाबत पहली किस्त का भुगतान करते समय पीएसीएल का प्रमाणपत्र जारी किया गया । उसके पश्चात्, बाद वाली किस्तों के भुगतान के समय, केवल पीएसीएल की रसीदें ही जारी की गईं । इसी के मद्देनज़र, वेब-पोर्टल में तदनुसार बदलाव कर दिया गया है, ताकि निवेशक के पास पीएसीएल के प्रमाणपत्र के साथ-साथ पीएसीएल की रसीदें भी अपलोड करने का विकल्प रहे । हालाँकि, यह अवश्य सुनिश्चित किया जाए कि पीएसीएल की जो रसीदें अपलोड की जा रही हैं, उन पर वही रजिस्ट्रीकरण संख्या लिखी हुई हो जो पीएसीएल के उस प्रमाणपत्र पर लिखी हो जिसके संबंध में आवेदन किया जा रहा हो ।

उपरोक्त के मद्देनज़र, हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं के डेमो वीडियो में भी उपरोक्तानुसार बदलाव कर दिए गए हैं । धन-वापसी (रिफंड) हेतु आवेदन करने से पहले ये वीडियों अवश्य देख लिए जाएँ ।

पुनः सूचित किया जाता है कि धन-वापसी (रिफंड) हेतु आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख अभी भी 28 फरवरी, 2018 ही है, जैसा कि तारीख 2 जनवरी, 2018 की प्रेस विज्ञप्ति में उल्लेख किया गया था ।